न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मुकाम श्रीकरणपुर

दूरभाष नं0:– 01501226005 ईमेल–sdo.srikaranpur@rajasthan.gov.in

क्रमांक :- रीडर/2025/687 **दिनांक :- 10.09.2025**

तहसीलदार (राजस्व),
श्रीकरणपुर।

विषयः- प्रकरण संख्या 25/2025 अनवान श्याम सुन्दर बनाम राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार श्रीकरणपुर अन्तर्गत धारा 251 ए आरटीए में पारित **निर्णय दिनांक 10.09.2025 के संबध में।**

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि अनवान प्रकरण में पारित निर्णय दिनांक 10.09.2025 के अनुसार प्रार्थना पत्र प्रार्थी अन्तर्गत धारा 251क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 बखूबी साबित होने से स्वीकार किया जाकर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 भली-भांति साबित होने पर स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्राम 30 एफ, पटवार हल्का अरायण, भू.अ.नि. क्षेत्र श्रीकरणपुर की जमाबन्दी सम्वत 2075 ता 2078 के खाता संख्या 01/90 के मुरब्बा नम्बर 20 के किला नम्बर 23/5 की 0.0153 हैक्टेयर भूमि व इसी चक के खाता संख्या 94/90 के मुरब्बा नम्बर 20 के किला नम्बर 23/6 की 0.0127 हैक्टेयर भूमि को संलग्न नक्शा अनुसार गैरमुमकिन रास्ता दर्ज किए जाने के आदेश दिए जाते है। तहसीलदार श्रीकरणपुर को निर्देश दिये जाते है कि रास्ता कायम कर मौके एंव राजस्व रिकॉर्ड में अमल-दरामद कर रास्ते की पत्थरगढी करावे एंव मौके पर कोई अवरोध पाए जाए तो उन्हें हटाये।

{**श्योराम** (आर.ए.एस)}
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर जिला श्रीगंगानगर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्री करणपुर (श्री गंगानगर)

सहायक कलेक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी श्रीकरणपुर (श्रीगंगानगर)